राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	अधिवक्तागण
1.	3261 / 2025	निशा सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरंतपुर संभाग, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, औलवाड़ा, सवाईमाधोपुर।	30.06.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री गिरिराज राजोरिया
2.	3314 / 2025	मधुसूदन शर्मा	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर। 4. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पातलियास, सुवाणा, जिला भीलवाड़ा।	29.06.2025 (अनुलग्नक–1), 30.06.2025 (अनुलग्नक–2) एवं 01.07.2025 (अनुलग्नक–3)	श्री उम्मेद सिंह तंवर
3.	3432 / 2025	सुनिता सुमन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. पीईईओ एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोण्डा, जिला झालावाड़।	30.06.2025 (अनुलग्नक–1), एवं 01.07.2025 (अनुलग्नक–2)	श्री राकेश कुमार सैनी
4.	3433 / 2025	रश्मि सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झालावाड़ रोड़, गांव श्री चत्तरपुर, भवानीमण्डी, जिला झालावाड़। ।	30.06.2025 (अनुलग्नक–1), एवं 01.07.2025 (अनुलग्नक–2)	श्री सुधीर यादव

आदेश दिनांक : 01.08.2025

उपस्थिति–

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में विवाद का समान बिन्दु निहित है। इसलिए समस्त अपीलों का निस्तारण इस एक समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3261/2025 निशा सैनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य को अग्रग अपील लेते हुए इसके तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
3. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, औलवाड़ा, सवाईमाधोपुर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वार्ड न. 9 खानदीप, सवाईमाधोपुर में किया गया है।
4. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.09.2020 (अनुलग्नक–2) के द्वारा हुई थी, जिसके तहत अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, औलवाड़ा, सवाईमाधोपुर में पदस्थापित किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के अंतर्गत दिनांक 11.07.2024 को विज्ञापन जारी किया गया (अनुलग्नक–3), जिसके द्वारा महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय (एसवीजीएमएस) और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों/कार्मिकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गए थे। प्रत्यर्थी विभाग ने ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि 15.07.2024 से 22.07.2024 रखी। अपीलार्थी पात्र होने के कारण अपना आवेदन पत्र दाखिल करके चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुई। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए, जिसके द्वारा परीक्षा की तिथि 25.08.2024 निर्धारित की गई। अपीलार्थी परीक्षा में शामिल हुई और इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने परिणाम जारी कर दिया और पात्र अभ्यर्थियों से जिला आवंटन के संबंध में विकल्प भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। अपीलार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई एवं उसने किसी जिले का विकल्प नहीं दिया। जिले का विकल्प संबंधी शाला दर्पण अनुलग्नक–4 पर है। अपीलार्थी एमजीजीएस विद्यालय में पदस्थापन नहीं चाह रही थी और वह अपने पूर्व के पदस्थापन स्थान पर ही पदस्थापित

रहना चाहती थी। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग न लेने के बावजूद आदेश दिनांक 30.06.2025 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वार्ड नं. 9, खानदीप, सवाईमाधोपुर में कर दिया, जबकि अपीलार्थी अपना पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में नहीं चाह रही थी। उनका कथन है कि अपीलार्थी ह्रदय रोग से पीड़ित है और हाल ही में अपीलार्थी को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अपीलार्थी के पैर का भी ऑपरेशन हुआ है। उक्त कारणों से अपीलार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई थी। अपीलार्थी अपना पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही चाहती है। चिकित्सा दस्तावेज अनुलग्नक–5 पर है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण से निवेदन किया कि उसके द्वारा काउंसलिंग में भाग नहीं लेने के बावजूद एवं कोई विकल्प नहीं देने पर भी आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 द्वारा पदस्थापन किया गया है।

5. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

6. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विभागीय विज्ञप्ति दिनांकः 11.07.2024 एवं आदेश दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानानुसार राज्य में संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी कार्मिकों के शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये थे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त परीक्षा मे न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले आशार्थियों को उनके शालादर्पण लॉगिन के एस.एस.पी.एम.एस. लॉगिन पर उनके द्वारा पूर्व मे भरे गये जिलों के विकल्पों मे से विज्ञप्ति दिनांक 26.06.2025 (अनुलग्नक–आर/1) के क्रम मे किसी एक जिले के विकल्प को लॉक करने हेतु आप्शन उपलब्ध करवाया गया। किसी एक जिले की सहमति से पूर्व तीन बिन्दुओं की सहमति तथा निर्देशो पर टिक का आप्शन व अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के निर्देशों की समुचित जानकारी भी दी गई थी। उक्त बिन्दुओं तथा निर्देशों को सेलेक्ट करने के पश्चात कार्मिकों के स्वयं के मोबाईल नम्बर पर ओटीपी सहमति हेतु प्राप्त की गई है। कार्मिकों से उक्तानुसार सहमति प्राप्त होने के पश्चात ऐसा 01 जिला जो आशार्थी द्वारा सहमति देने से प्राप्त हुआ, उस जिले के लिए विद्यालय के विकल्प उपलब्ध करवाये गये तथा आवेदक/कार्मिक द्वारा चयन किये गये जिले से संबंधित रिक्तियों मे से कार्मिक अपनी प्राथमिकता के क्रम मे समस्त रिक्त पदों को चुन सकता था। इस प्रक्रिया के माध्यम से चयन हेतु प्रदत्त सहमति के

आधार पर यदि कार्मिक द्वारा चुने गये जिले की रिक्तियों में से समस्त रिक्तियों का विकल्प नहीं भरा जाता है और उसके द्वारा भरे गये विकल्पों में से किसी विद्यालय हेतु चयन नहीं होता है, तो उस जिले की शेष रिक्तियों मे से किसी भी विद्यालय में रेण्डम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटन किया जाना पूर्व मे ही विज्ञप्ति मे निर्देशित कर दिया गया था। कार्मिकों द्वारा चयन किये गये जिले का आवंटन एवं तदोपरान्त विद्यालय का आवंटन उसकी वरीयता एवं रिक्तियों के अनुसार किया गया है, यदि किसी आशार्थी द्वारा चयन किये गये जिले/विद्यालय को निर्धारित समयावधि मे पुनः बदलने का विचार रहा तो भी ऐसे आशार्थियो के लिए उनके एस.एस.पी.एम.एस. लॉगिन पर ही दो अलग–अलग विकल्प यथा जिला अनलॉक एवं विद्यालय अनलॉक आप्शन उपलब्ध करवाये गये थे, जिन्हे आशार्थी दिनांक 29.06.2025 दोपहर 03:00 बजे तक जितनी बार चाहे उतनी बार इसी अवधि मे अनलॉक करवा सकते थे। यदि कोई आशार्थी अपना पूर्व प्रस्तुत विकल्प जिला/विद्यालय अनलॉक करवाना चाहता था तो उसी निर्धारित समयावधि मे उसके द्वारा उसके एस.एस.पी.ए.एस. लॉगिन पर ही उपलब्ध आपॅन से वह रिक्वेस्ट भेज सकता था। रिक्वेस्ट भेजने पर तय समयावधि मे ही तुरन्त उनके द्वारा भेजी गई जिला/विद्यालय अनलॉक हो जाता था। जिन आशार्थियो द्वारा विद्यालय अनलॉक करवाया गया, किन्तु जिला लॉक रहा तो उन्हें भी नियमानुसार विभाग द्वारा रेण्डम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की गई हैं। यदि किसी आशार्थी ने जिले का आप्शन नही भरा है तथा इसके आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है तो उसे उक्त प्रक्रिया मे शामिल ही नहीं किया गया है और न ही पदस्थापन दिया गया है। इसके अलावा यदि किसी आशार्थी ने जिले का आप्शन तो अपनी सहमति देते हुए मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होने के पश्चात सबमिट कर सहमति दी है और विद्यालय विकल्प नही प्रस्तुत किये है तो उसे नियमानुसार उस जिले मे रेण्डम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटित किया गया है। यदि किसी आशार्थी ने उसके शालादर्पण लॉगिन से एस.एस.पी.एम.एस. लॉगिन पर काउंसलिंग मे ही भाग नही लिया तो उन्हे उक्त प्रक्रिया में पदस्थापन की कार्यवाही नही की गई है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष गलत एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि उनके द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग प्रकिया में भाग नहीं लिया गया है, अपीलार्थी द्वारा जिले का विकल्प प्रस्तुत किया गया है परन्तु विद्यालय का विकल्प प्रस्तुत ही नहीं किया गया है, इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर ही अपीलार्थी कार्मिक का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वार्ड नम्बर 02, खानदीप जिला सवाईमाधोपुर में किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त विद्यालय में दिनांक 30.07.2025 को कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा गलत एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन एवं मनन किया।

8. प्रस्तुत अपीलों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया सम्पन्न की गई है और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु जिला आवंटन का विकल्प लिया जाकर काउंसलिंग प्रक्रिया सम्पादित की गई है। जिले का विकल्प प्रस्तुत करने पर चयनित जिले के संबंधित विद्यालयों के संबंध में भी कार्मिक को विकल्प प्रस्तुत करना था। उसके बाद कार्मिक की वरीयता व चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि उत्तीर्ण कार्मिकों में से जिन कार्मिकों द्वारा जिले का विकल्प प्रस्तुत किया गया है, उन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया गया है और जिले में स्थित विद्यालयों में संबंधित कार्मिकों द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार एवं कार्मिक द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर विद्यालय आवंटन एवं पदस्थापन की कार्यवाही की गई। लिहाजा अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उनके द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया था।

9. उक्त चयन प्रक्रिया हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई, उसके पैरा संख्या 3, 4, 5 एवं 6 निम्न प्रकार से हैः—

> ''विज्ञप्ति दिनांक 11.07.2024 व दिनांक 10.01.2025 अनुसार संबंधित कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से दिनांक 26.06.2025 से 29.06.2025 सायं 05:00 बजे तक उनके द्वारा पूर्व में भरे गये जिलों के विकल्पों में से किसी एक जिले के विकल्प का चयन किया जाना है। इसी के साथ ही आवेदक/कार्मिक के समस्त विकल्पों के जिलों की समस्त रिक्तियों भी प्रदर्शित होगी।
>
> आवेदक/कार्मिक द्वारा चयन किये गये जिले से संबंधित रिक्तियों में से कार्मिक अपनी प्राथमिकता के क्रम मे समस्त रिक्त पदों को चुन सकेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से चयन हेतु प्रदत्त सहमति के आधार पर यदि कार्मिक द्वारा चुने गये जिले की रिक्तियों मे से समस्त रिक्तियों का विकल्प नहीं भरा जाता है और उसके द्वारा भरे गये विकल्पों में से किसी विद्यालय हेतु चयन नहीं होता है, तो उस जिले की शेष रिक्तियों मे से किसी भी विद्यालय में रेण्डम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटन किया जायेगा।
>
> कार्मिक द्वारा चयन किये गये जिले का आवंटन एवं तदोपरान्त विद्यालय का आवंटन उसकी वरीयता एवं रिक्तियों के अनुसार होगा।
>
> अन्तिम रूप से जिले का विकल्प नही करने वाले आवेदक/कार्मिक को आगामी प्रक्रिया में शामिल/विचार नहीं किया जायेगा।''

10. इससे स्पष्ट है कि चयन उपरान्त पदस्थापन काउंसलिंग की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है और अनिच्छुक कार्मिकों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। यदि अपीलार्थी द्वारा जिले के समस्त विद्यालयों का विकल्प

प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसी दशा में विद्यालय का आवंटन शेष रहे विद्यालयों में से रेण्डमली किया जायेगा।

11. अपीलार्थी निशा सैनी के अतिरिक्त शेष सभी अपीलार्थीगण ने विकल्प प्रस्तुत कर काउन्सिलिंग में भाग लेने का कथन किया है। अपीलार्थी निशा सैनी का काउंसलिंग में भाग नहीं लेने का कथन मान्य नहीं है।

12. उक्त प्रकरणों में अपील संख्या 3261/2025 एवं 3314/2025 में अपीलार्थीगण द्वारा नवीन पदस्थापन विद्यालयों में कार्यग्रहण किया जा चुका है। अपीलार्थीगण की तरफ से मुख्य तर्क यह रहा है कि यह प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन है और उनकी प्रतिनियुक्ति उन्हीं विद्यालयों में की जा सकती है, जिनके संबंध में उनके द्वारा विकल्प प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर आलौच्य आदेश नियम विरूद्ध है। हम यह पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञप्ति में यह स्पष्ट है कि चयन परीक्षा में सफल होने पर एक जिले का विकल्प चयन किया जाना है और उसके पश्चात चयनित जिले में उपलब्ध रिक्तियों में से कार्मिक अपने प्राथमिकता के क्रम में समस्त रिक्त पदों को चुन सकेगा और उनमें से वरियता एवं रिक्तियों के अनुसार आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। उसी अनुरूप प्रक्रिया अपनाकर पदस्थापन किया गया है।

13. अपील संख्या 3314/2025 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विद्यालयों की वरीयता में दो पद रिक्त उपलब्ध होने का कथन किया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब अनुसार दोनो पद न्यायिक प्रकरण लम्बित रहने के कारण रिक्त है। जिन्होने चयन परीक्षा में अपीलार्थी से ज्यादा अंक है एवं उच्च वरीयता है।

14. इन सभी अपीलों में हम यह भी पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया से पहले इच्छुक कार्मिकों से लिखित में अण्डरटेकिंग ली गई है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है। अब मात्र इच्छित विद्यालयों में पदस्थापन नहीं होने के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को चुनौती दिया जाना नियमानुसार नहीं है। अतः समस्त अपीले सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

15. मूल आदेश अपील संख्या 3261/2025 में सलंग्न किया जाये एवं आदेश की फोटोप्रति अन्य अपीलों में सलंग्न की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य